



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 01/02/ 2017, दिनांक 10.10.2017

व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ के पदों की पूर्ति की कार्यवाही स्थगित किए जाने की सूचना

- 01 आयोग द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ (Lecturer for Orthopedically Disabled) के 4 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 02/2017, दिनांक 02.03.2017 आयोग की वेबसाइट तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 06.03.2017 के अंक में प्रकाशित किया गया था।
- 02 सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा उक्त पदों के पूर्ति की कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। अतः व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ (Lecturer for Orthopedically Disabled) के 4 पदों की पूर्ति की कार्यवाही स्थगित की जाती है

सचिव